झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

संोसंोः– 04 / छाo(E-Pass)–05 / 2016– 2398

प्रेषक,

सीoकेo सिंह,
सरकार के कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी परियोजना निदेशक, आईoटीoडीoएo,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांकः–...9.8.17...

विषयः– झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 2017 के अन्तर्गत योग्य संस्थानों के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत योजना को शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए लागु करने के हेतु प्रक्रियात्मक कार्रवाई के लिए समय सीमा का निर्धारण आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 975, दिनांक– 11.07.2017 के द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 07.08.2017 निर्धारित की गई थी एवं राज्य / जिला स्तर पर संस्थानों का अनुमोदन दिनांक– 26.08.2017 तक किया जाना है।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप यह निर्देश दिया जाता है कि :–

1. जिले के अन्तर्गत संचालित वैसे सभी संस्थान जो ई–कल्याण पोर्टल पर पूर्व से निबंधित है एवं जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में पंजीकरण हेतु अनुरोध किया गया है वैसे सभी संस्थानों की समेकित सूची तैयार की जाए।
2. सूची के अनुसार सभी संस्थानों से संबंधित मान्यता, सम्बधता एवं अनुमान्य पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी दस्तावेज ई–कल्याण पोर्टल से अपलोड करते हुए उसका प्रिन्ट आऊट प्राप्त किया जाए।
3. संबंधित संस्थान द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आलोक में भौतिक जाँच सुनिश्चित की जाए।
4. भौतिक जाँच के पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के योग्य एवं अयोग्य संस्थानों की अलग–अलग सूची तैयार की जाए।
5. जिला स्तर पर संस्थानों के अनुमोदन के लिए निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाए :–

(i)	उपायुक्त	–	अध्यक्ष
(ii)	परियोजना निदेशक / उप विकास आयुक्त	–	उपाध्यक्ष
(iii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
(v)	जिला श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	–	सदस्य
(vi)	जिलों में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो	–	सदस्य

E:\sunny\c.k.singh sir\Hindi letter 2

(vii)	जिला में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	–	सदस्य
(viii)	जिला में स्थित राजकीय इंजी० कॉलेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	–	सदस्य
(ix)	जिला में स्थित किसी एक राजकीय पॉलीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो	–	सदस्य
(x)	DIO-NIC	–	सदस्य
(xi)	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य–सचिव

6. संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं संस्थानों की शत प्रतिशत भौतिक जाँच के पश्चात् पूर्ण प्रतिवेदन उक्त समिति के समक्ष रखा जाए और उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाए। समिति की बैठक किसी भी परिस्थिति में 21.08.2017 के पूर्व बैठक करा ली जाए और उसका दिनांक–22.08.2017 तक आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को भेज दिया जाए ताकि दिनांक–25.08.2017 के पूर्व राज्य स्तर पर संस्थानों के अनुमोदन की प्रक्रिया निष्पादित कर ली जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

(सी०के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\sunny\c.k.singh sir\Hindi letter 2